## समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावॉ

e-mail-meso.seraikella@gmail.com & dwo.seraikella@gmail.com

ਦੇਬਤ

पत्राक-1591/आई०टी०डी०ए०

परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण सरायकेला--खरसावाँ ।

सभी प्राचार्य महाविद्यालय / संस्थान सरायकेला-खरसावाँ।

विषय :-

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के कियान्वयन के संबंध में।

महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि है आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्राक-2648, दिनाक-21.12.2020 के द्वारा झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षण सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। इस संबंध में शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए विभाग द्वारा निम्नरूपेण समय सीमा निर्धारित की

गर्द है -

क्०सं०	प्रकियात्मक कार्रवाई	ई-कल्याण पोर्टल खुलने की तिथि	ई-कल्याण पोर्टल बंद होने की तिथि
	नये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन	28.12.2020	10.01.2021
2	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रकिया	28.12.2020	15.01.2021
3	शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन	28.12.2020	20.01.2021

आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन ई-कल्याण पोर्टल में आवश्यक संशोधन के निमित्त बैठक में लिए गए निर्णय से सम्बंधित कार्रवाई की छायाप्रति इस पत्र के साथ सलंग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय निदेशानुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ई-कल्याण पोर्टल पर निबंधित संस्थानों / महाविद्यालयों का पंजीकरण से सम्बंधित संस्थानों का मान्यता, सम्बद्धता एवं अनुमान्य पाठ्यकमो से सम्बंधित सभी दस्तावेजों के अपलोड एवं छात्र-छात्राओं का आवेदन करने की प्रकिया तथा आवेदन का सत्यापन से सम्बंधित दिशा-निदेशों का समय सीमा के अंदर अनुपालन करना सुनिश्चित करेगे।

अन्लंग्नक- अथोवत्।

विश्वासभाजन

समेकित जनजाति विकास अभिकरण

रेपारिक्रिक्ट प्राचीप राजकीय पेलिट्सिन्स, आदिएपुर व्यापार्थिया

MINIS: - 430